कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति जीव विज्ञान/पीएससी /2015/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी राजेश कुमार एवं अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11303/2020 राजेश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11303/2020 राजेश कुमार एवं अन्य बनाम सरकार व अन्य को एस.बी.सिविल. संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 एवं एस.बी.सिविल. संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.10.17 से कवर्ड किया है। याचिका संख्या 7283/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2014 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "If the respondent no. 02 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	जन्म दिनांक	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1-	RAJESH KUMAR	15-08-1980	378	25-07-2018	02-08-2018
2-	JITENDRA	05-01-1984	387	25-07-2018	03-08-2018
3-	SHYAM LAL	02-08-1984	381	25-07-2018	04-08-2018
4-	SURESH BATAN	01-07-1983	359	25-07-2018	03-08-2018 A.N.
5-	SHEKHAR CHOUHAN	08-10-1987	398	02-07-2017	11-07-2017

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक जीव विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा कार्मिक सुनीता कुमारी मेरिट क्रमांक–593 को नियुक्ति प्रदान की गई। कार्मिक सुनीता कुमारी द्वारा लक्ष्मीनारायण तापड़िया राउमावि सांडवा, बीदासर, चूरू में दिनांक 29.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.02 1[illegible]:39:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4395368

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 11303/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 11.11.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी।

उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुनीता कुमारी मेरिट क्रमांक-593 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता कुमारी मेरिट क्रमांक 593 द्वारा दिनांक 29.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सुनीता कुमारी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुनीता कुमारी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थीगण भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/या.स.11303/राजेश कुमार/अव 1163/22 दिनांकः- 02/08/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..............................।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी........................।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-विधि, जयपुर।
8. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/रावाउमावि ....।
9. संबंधित कार्मिक ....।
10. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.02 1?:39:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4395368